तारीख हुक्म	हुक्मय या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17/12/24	प्रार्थी अभि० ने वरिष्ठ सुनवाई व प्रार्थना पत्र विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी अभि० ने प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाने चाहते हैं, अतः प्रा० पत्र विड्रो करने की अनुमति प्रदान करावे। प्रा० पत्र को विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर की जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर